न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, किशनगढ़, जिला अजमेर।

दीवानी वाद सं. 104/2021 सी.आई.एस. नं. 09/2017

धर्मेन्द्र साहू व अन्य बनाम हरदेवनाथ व अन्य

दिनांक 18.11.2025

वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित।

इस आदेश द्वारा प्रतिवादी सं. 01 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी दिनांकित 14.10.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने कथन किया है कि प्रतिवादी सं 1 की ओर से दिनांक 24.03.2025 को आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करके प्रतिबंधित समय के भीतर किए गए विक्रय इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत वाद को खारिज करने का निवेदन किया था, जिस पर दिनांक 11.09.2025 को आदेश पारित किया गया, जिसकी कोई अपील पेश नहीं की गई है। प्रकरण में अभिलेख को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि वादीगण द्वारा उक्त वाद दिनांक 21.03.2016 को निष्पादित इकरारनामा के आधार पर इकरारनामा की विशिष्ट अनुपालना का वाद पेश किया गया है। उक्त प्रकरण में अभिलेख को देखने से ही स्पष्ट होता है कि वादपत्र के पैरा सं. 3, 4, 6, 7 व 9 में यह अंकित किया गया है कि इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 को निष्पादित किया था। उक्त दिनांक को ही वादकारण उत्पन्न होने का अभिवाक किया गया है। पैरा सं. 9 में भी यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र कैलाश ने बंटवारे का दावा पेश किया था, जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने मूल वाद के निर्णय तक उक्त भूमि को अंयत्र हस्तांतरित नहीं करने का आदेश दिया, जो दिनांक 24.11.2011 का है। यह आदेश दिनांक 21.03.2016 इकरारनामे में अंकित भूमि के संबंध में प्रभावी था। यह भी कथन किया है कि पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2025 को पैरा सं. 3 में यह निवेदन किया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Narayanamma and Anr. etc. Vs. Govindappa and ors etc. में निष्कर्ष दिया गया था, जिसमें स्पष्ट है कि वादी के वादपत्र के पैरा सं. 9 में वर्णितानुसार इकरारनामा स्थगन आदेश के उल्लंघन में निष्पादित किया गया है, जो पालना योग्य नहीं है, सक्षम न्यायालय के आदेश से प्रतिबंधित है। अतः उसकी विशिष्ट पालना नहीं करवाई जा सकती है। अतः आदेश दिनांक 11.09.2025 का पुनर्विलोकन करने का निवेदन किया।

18/11/25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)

अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए:–

1. 2019 Supp. (2) SAR (Civ) 653 Narayanamma and Anr. etc. Vs. Govindappa and ors etc.
2. 2025 SAR (Civ) 1067 (SC) Malleeswari Vs. K. Suguna and another

उक्त प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने कथन किया है कि न्यायालय के द्वारा पुनर्विलोकन, अभिलेख पर प्रकट त्रुटि या कोई तथ्य, जो व्यथित व्यक्ति के ज्ञान में नहीं था या अन्य किसी पर्याप्त कारण से कर सकता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2025 को जो आदेश पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रकट त्रुटि नहीं है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रतिवादी न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित मत को बदलवाना चाहता है, जिसके संबंध में पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से पेश किया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र टारगेट पत्रावली में देरी कारित करने की नियत से पेश किया गया है। प्रतिवादी द्वारा भिन्न–भिन्न प्रार्थना पत्र पेश कर बार–बार प्रकरण को विलंबित किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे खारिज किए जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

1. 2023(1) CJ(Civ.) (SC) 121 S. Murali Sundaram Vs. Jothibai Kannan & Ors.
2. 2023(1) CJ(Civ.) (SC) 679 Badan Kanwar Vs. Bheem Singh

उभयपक्षों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने जरिए प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2025 के पुनर्विलोकन हेतु निवेदन किया है तथा प्रकरण में जो वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें वर्णित तथ्यों को अभिलेख देखने से स्पष्ट होना बताते हुए उन्हीं तथ्यों के आधार पर निष्पादित इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 24.11.2024 के प्रभावी होने की अवधि में ही निष्पादित होने से पालना योग्य नहीं होने का कथन किया है। इस संबंध में

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में वादी द्वारा हस्तगत वाद विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 की विनिर्दिष्ट अनुपालना एवं विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2016 को निरस्त करने बावत पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पूर्व में दिनांकित 24.03.2024 को आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2025 को निस्तारित किया गया तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जिन तथ्यों के आधार पर इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 विधि विरूद्ध होना बताते हुए वाद विधि द्वारा वर्जित होना अंकित किया है, उसके संबंध में इस तथ्य का विनिश्चय की इकरारनामा विधि विरूद्ध है या नहीं, उभयपक्षों की साक्ष्य आने के पश्चात् मूल प्रकरण के निस्तारण के समय ही इस प्रश्न का अवधारण किया जाना उक्त आदेश में उचित माना। इसी प्रकार वाद कारण का उत्पन्न नहीं होने बाबत आपत्ति भी प्रथमदृष्टया वादपत्र के अवलोकन से माने जाने योग्य नहीं होने व जवाबदावे में उक्त वाद कारण बाबत आपत्ति का आधार वर्णित नहीं होने के आधार पर आदेश 7 नियम 11 में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर वाद विधि विरूद्ध हो, यह तथ्य प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने हस्तगत प्रार्थना पत्र में वादपत्र के अभिलेख को देखने से ही इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 का निष्पादन विधि विरूद्ध होना बताया है तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उसे त्रुटि होना बताते हुए उसका पुनर्विलोकन किए जाने का निवेदन किया है, परंतु आदेश 47 नियम 1 सीपीसी का अवलोकन किया जावे तो उक्त विधिक प्रावधान निर्णय के पुनर्विलोकन के संबंध में उपबंध करते हैं, जिसमें यह उल्लेखित है कि जहां कोई डिक्री या आदेश में ऐसी कोई नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलने से सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब डिक्री या आदेश पारित किया गया, व्यथित व्यक्ति के ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था या किसी भूल या गलती के कारण, जो अभिलेख को देखने से प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है तो निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है, परंतु हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, वह संपूर्ण अभिलेख को देखने के उपरांत ही आदेश पारित किया है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई भूल या गलती अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचन व आदेश को देखने से प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी के द्वारा जो इकरारनामा विधि द्वारा वर्जित होने का आधार लिया गया है, न्यायालय ने उसे उभयपक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत ही मूल प्रकरण के निस्तारण के

18/11/25

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)

समय विनिश्चित किया जाना माना है। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में ऐसी कोई भूल या गलती की हो, जो उक्त विधिक प्रावधानों के क्षेत्राधिकार में आती हो, यह तथ्य आदेश के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित जो माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत 2019 Supp. (2) SAR (Civ) 653 Narayanamma and Anr. etc. Vs. Govindappa and ors etc. पेश किया गया है, उसमें न्यायिक दृष्टांत में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को साक्ष्य उपरांत ही विनिश्चित किया था, आदेश 7 नियम 11 के तहत वादपत्र को खारिज किया हो, यह तथ्य उक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उक्त न्यायिक दृष्टांत में इकरारनामा में वर्णित विवादित संपत्ति को प्रतिवादी को अनुदान (Grant) पर इस शर्त के साथ दिया गया था कि वह 15 वर्ष तक उसे अंतरित नहीं करेगा। प्रतिवादी ने उक्त अवधि में संपत्ति अंतरित कर दी, जो कर्नाटक लैण्ड रिफॉर्म एक्ट, 1961 की धारा 61 के विरूद्ध होने से इकरारनामा विधिविरूद्ध होने से वाद वादी खारिज किया, जबकि हस्तगत प्रकरण में उक्त तथ्य नहीं है। इकरारनामा के निष्पादन के समय उपखण्ड अधिकारी के विवादित संपत्ति पर स्टे आदेश होने से इकरारनामा विधिविरूद्ध होना बताया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में चस्पा नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है और अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 28.11.2025 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)